भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-427
बुधवार, 5 फरवरी, 2020/16 माघ, 1941 (शक)

बेरोजगारी की समस्या का अध्ययन करने के
लिए विशेष समिति

427. श्री विजय पाल सिंह तोमरः
श्री हरनाथ सिंह यादवः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा देश में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए किए गए निरन्तर प्रयासों के बावजूद, देश में बेरोजगारी की समस्या अभी भी कुछ हद तक मौजूद है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देश में बेरोजगारी के मुद्दे का अध्ययन करने के लिए एक विशेष समिति का गठन करने पर विचार कर रही है/का विचार रखती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए कई कदम उठाए हैं जैसे अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना, पर्याप्त निवेश सहित विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करना तथा विभिन्न योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, देश में 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर उपलब्ध सीमा तक अनुमानित बेरोजगारी दर 6.0% थी।

(ख): वर्तमान में सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। फिर भी, रोजगार और कौशल विकास पर एक कैबिनेट समिति का गठन 06/06/2019 को माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में किया गया था।

****